

कं. 552/484/सीसी/2018

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 6 जून, 2018

विषय :- पारंपरिक विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समान ?
पात्रता के संबंध में ।

संदर्भ :- (1) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग जारी प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19
(2) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 394/73/सीसी/2017, दिनांक 3/5/2018

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कंडिका 2.6.1 की स्पष्टता हेतु मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 394-394/73/सीसी/2017, दिनांक 03/05/2018 द्वारा पारम्परिक विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समान पात्रता हेतु बिन्दुवार निर्देश जारी किये गये हैं। इसी अनुक्रम में आदेश दिनांक 03 मई 2018 के तहत पात्रता हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएँ।


हस्ता/-
अपर सचिव,
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

पृष्ठांकन कं. शैक्ष/ग्यारह/पात्रता/2018/1207
प्रतिलिपि :-

दिनांक.....2.....1.....JUN 2018

- 1 माननीय कुलपति के निज सहायक देवी अहिल्या वि०वि०, इंदौर
- 2 माननीय कुलसचिव के निज सहायक, देअविवि., इंदौर
- 3 उपकुलसचिव प्रशासन/गोपनीय, देवी अहिल्या वि०वि०, इंदौर
- 4 विभागाध्यक्ष, आई टी सेंटर देअविवि, इंदौर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 5 समस्त संबंधित अध्ययनशालाओं के विभागाध्यक्ष, देअविवि, इंदौर
- 6 समस्त संबंधित प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


उपकुलसचिव(शैक्षणिक)

